अति तत्काल

संख्या एन-22/2/2021-पी.एण्ड.सी.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 15th जून, 2021

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए मई, 2021 माह का मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **मई, 2021** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में संलग्न करने का निदेश हुआ है।

जसबीर तिवारी
(जसबीर तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं0 23381233

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. सहायक निदेशक, राजभाषा प्रभाग।

उपभोक्ता मामले विभाग
मई, 2021 माह का मासिक सार

मई, 2021 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप/निर्णय।

1. मूल्य स्थिरीकरण :-

1.1 दालों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए इस माह के दौरान प्रमुख नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। उपलब्धता बढ़ाने और मांग-आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए, दालों के आयात को सरल बनाया गया। 15 मई, 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 तक की अवधि के लिए तूर, उड़द और मूंग को 'प्रतिबंध' श्रेणी से 'मुक्त' श्रेणी में ले जाया गया। तत्पश्चात्, आयातकों और संबंधित एजेंसियों जैसे सीमा शुल्क, एफएसएसएआई और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) प्लांट क्वारंटिन विंग के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयात प्रक्रिया निर्बाध और कुशल हो, नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

1.2 उपरोक्त कदमों के साथ, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव की समस्याओं को दूर करने के लिए सक्रिय उपाय किए गए। 14 मई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे मिल मालिकों, व्यापारियों, आयातकों आदि पणधारियों को अपने स्टॉक की घोषणा करने का निर्देश दे ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसका सत्यापन किया जा सके।

1.3 दालों के स्टॉक के प्रकटन के मामले पर चर्चा करने के लिए 17 मई, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ एक बैठक हुई। तत्पश्चात्, इस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) द्वारा बनाए गए एक ऑनलाइन पोर्टल का लिंक 19 मई, 2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को भेजा गया। दालों के स्टॉक के सत्यापन और कीमतों की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए 25 मई, 2021 को प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ एक अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई। 31 मई तक, 4226 इकाईयों – डीलरों, आयातकों, मिलरों, स्टॉकिस्टों ने देश भर से पोर्टल पर पंजीकरण कराया और 14.86 एलएमटी दालों के स्टॉक की घोषणा की।

2 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता

2.1 मंत्रिमंडल ने 25 मई, 2021 को हुई अपनी बैठक में मालावी गणराज्य सरकार के साथ 2021-22 से 2025-26, तक 5 वर्षों के लिए मालावी से 50,000 मीट्रिक टन तूर के वार्षिक आयात के लिए निजी व्यापार के माध्यम से एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।

2.2 निजी व्यापार के माध्यम से 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए म्यांमार से 2,50,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर के वार्षिक आयात के लिए म्यांमार गणराज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी गई।

3. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)

3.1 एक राष्ट्र एक मानक के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो: रेलवे, बिजली, सड़क परिवहन और राजमार्ग आदि जैसे कई मंत्रालयों तक पहुंच रहे हैं, ताकि इन क्षेत्रों के उत्पाद मानक सभी गुणवत्ता मानदंडों को पूरा कर सके। रेल मंत्रालय के साथ घनिष्ठ समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ), रेल मंत्रालय, भारत सरकार बीआईएस मान्यता के लिए योजना के तहत मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एसडीओ बन गया। यह मान्यता सुनिश्चित करेगी कि मानक विकास की आरडीएसओ की प्रक्रियाएं मानकीकरण के विश्व स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतों के साथ संरेखित हैं और डब्ल्यूडी-टीबीटी समझौते मे प्रदान किए गए मानकों को तैयार करने, अपनाने और लागू करने के कोड ऑफ गुड प्रैक्टिस के अनुरूप हैं।